न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्याः– 189 / 17 दायरा दिनांक 03.11.2017

पीठासीन अधिकारी :– श्री हीरालाल वर्मा (आर.ए.एस.)

उनवान

माणकचन्द्र पुत्र घासीलाल जाति ओझा निवासी मुण्डियर तहसील शाहबाद जिला बारां (राज.) – **अपीलान्ट**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार शाहबाद – **रेस्पोस्ट**

अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट.

उपस्थित :–

1. अभिभाषक प्रार्थी – वीरेन्द्र अग्रवाल।
2. अभिभाषक अप्रार्थी– पैरोकार सरकार।

निर्णय दिनांक :– 31-7-2019

अपीलान्ट निम्न आधारों पर यह अपील पेश करता है। सम्मानीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अपीलान्ट को सर्वथा गलत तौर पर ग्राम मुण्डियर की आराजी खसरा नम्बर 23 रकबा 3.00 बीघा किस्म बंजड़ भूमि का साल 2073 का पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर दिनांक 16.10.2017 को अर्थदण्ड एवं सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया है जिससे अप्रसन्न होकर अपीलान्ट उक्त उनवानी अपील प्रस्तुत कर रहा है। सम्मानीय अधीनस्थ न्यायालय को पटवारी हल्का अपीलान्ट के विरूद्ध व्यक्तिगत रंजिस के चलते एक झूठी धारा 91 आल.आर.एक्ट. की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि अपीलान्ट ने ग्राम मुण्डियर के खसरा नम्बर 3 की 15 बिस्वा भूमि पर सम्वत् 2074 में अतिक्रमण कर सोयाबीन फसल काश्त कर ली है इस बाबत् सम्मानीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को नोटिस देकर जबाब हेतु दिनांक 16.10.2017 को अपने न्यायालय में तलब कि जिस पर अपीलान्ट ने निवेदन किया कि ग्राम मुण्डियर में खसरा नम्बर 3 में कोई सिवायक भूमि नहीं है खसरा नम्बर 3 जासकती इससे खफा होकर बिना कोई नोटिस दिये अपीलान्ट को ख.नं. 23 की 15 बीघा, कारावास के दण्ड से दण्डित कर दिया सम्मानीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16.10.2017 को पत्रावली पर अपीलान्ट को विवादित आराजी का पश्चावर्ती अतिक्रमी बाबत् कोई प्रमाणित साक्ष्य न होने के बाद भी सर्वथा गलत तौर पर सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित कर कानूनी भूल की है। अपीलान्ट ने किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। अपीलान्ट एक छोटे गांव का खेतीहर मजदूर है तथा खसरा नं. 23 की भूमि अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि इसके बाद भी सम्मानीय अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं रिकार्ड के विपरीत जाकर मनमाने तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। सम्मानीय अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय से पूर्व न ही मौका देखा न ही कोई स्वतन्त्र साक्ष्य ली मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार मानकर प्रश्नगत निर्णय पारित किया है जो विधि के सुस्थापित सिद्वान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। सम्मानीय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी ठहराया जा सके। सम्मानीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सर्वथा मनमाने तौर पर पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट को आधार मानकर बिना किसी जांच के अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया है।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कहा की मेरा खसरा नम्बर 3 पर कोई कब्जा नहीं है खसरा नम्बर 3 में कोई सिवायक भूमि नहीं है। खसरा नम्बर 23 मेरी खातेदारी थी ख.नं. 3 की रिपोर्ट है नोटिस भी खसरा नम्बर 3 का है जबकि निर्णय व सजा खसरा नम्बर 23 रकबा 15.00 बीघा कि की गई है। हमने उभयपक्ष के विद्वान वकीलों के तर्को पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। बहस सुनने पर पाया गया कि पटवारी द्वारा धारा 91 कि रिपोर्ट खसरा नम्बर 3 रकबा 3 बीघा की गई है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नम्बर 23 रकबा 3 बीघा पर अतिक्रमण मानते हुये निर्णय पारित किया गया है, जो विरोधाभाषी प्रतीत होता है।

अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.10.2017 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहबाद को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि रिपोर्ट पटवारी व राजस्व रिकार्ड एवं मौका स्थिति का सत्यापन कर अपीलान्ट को विधिवत सुना जाकर नये सिरे विधिवत निर्णय पारित करें।

पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर

शाहबाद (बारां)

Signature Not Verified
Digitally signed by Heera Lal Verma
Date: 2019.09.04 13:23:53 IST
Reason: SelfAttested
Location: